<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268708 CG-DL-E-22122025-268708

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5699]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28, 1947

No. 5699]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5895(अ).— जबिक, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण जनिहत में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 4) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील प्रदान की जाए;

और जबिक, केन्द्रीय सरकार जनिहत में यह आवश्यक समझती है कि कर्नाटक राज्य में पंजीकृत उत्पादकों के अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू (जिसे आगे एफसीवी तंबाकू के रूप में संदर्भित किया गया है) और अपंजीकृत उत्पादकों के अनिधकृत एफसीवी तम्बाकू की ब्रिकी तम्बाकू बोर्ड के विनिर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एततद्वारा कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14ए की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 10 की उपधारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में वर्ष 2025-26 के फसली मौसम में फसल की नीलामी के दौरान जनिहत में ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त एफसीवी तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों की अनिधिकृत एफसीवी तंबाकू की ब्रिकी तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमित प्रदान करती है।

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(कृषि-VI)/पार्ट] यशवीर सिंह, आर्थिक सलाहकार

8540 GI/2025 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O. 5895(E).—WHEREAS, the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest to relax the restrictions imposed under the Tobacco Board Act, 1975 (Act 4 of 1975);

AND WHEREAS, the Central Government considers it necessary in the public interest to dispose of the excess Flue Cured Virginia Tobacco (hereinafter referred to as FCV Tobacco) of registered growers and unauthorised FCV Tobacco of unregistered growers at the authorised auction platforms of the Tobacco Board in the State of Karnataka;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Tobacco Board Act, 1975, the Central Government in the public interest hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the State of Karnataka for the auctions during the crop season 2025-2026 and permits the sale of excess FCV Tobacco of the registered growers and unauthorised FCV Tobacco of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F.No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

YASHVIR SINGH, Economic Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

- का.आ. 5896(अ).— तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम 4) की धारा 20क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतदद्वारा तंबाकू बोर्ड को फसली मौसम वर्ष 2025-2026 के दौरान नीलामी के लिए कर्नाटक राज्य में अपने नीलामी प्लेटफार्मों पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू (जिसे आगे एफसीवी तंबाकू के रूप में संदर्भित किया गया है) और कर्नाटक राज्य में अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनिधकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू खरीदने की अनुमित देने के लिए तंबाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों को अधिकृत करती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:-
- (क) प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा वर्ष 2025-26 फसली मौसम के लिए अधिकृत कोटा के दस प्रतिशत तक उत्पादित अतिरिक्त एफसीवी तंबाकू के लिए उत्पादकों द्वारा देय बिक्री आय का एक प्रतिशत सामान्य सेवा शुल्क तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा:
- (ख) प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा वर्ष 2025-26 फसली मौसम के लिए अधिकृत कोटे के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक 20 प्रतिशत तक उत्पादित अतिरिक्त एफसीवी तंबाकू के लिए प्रति किलोग्राम एक रुपये की राशि और बिक्री से आय का 2 प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के 1 प्रतिशत सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर) तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा;
- (ग) वर्ष 2025-26 फसली मौसम के लिए अधिकृत कोटे के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक उत्पादित अतिरिक्त एफसीवी तंबाकू के लिए प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा प्रति किलोग्राम एक रुपये की राशि और बिक्री से प्राप्त आय का 3 प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के 1 प्रतिशत सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर) तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा;
- (घ) प्रत्येक अपंजीकृत उत्पादक द्वारा वर्ष 2025-26 फसली मौसम के लिए उत्पादित एफसीवी तंबाकू के लिए प्रति किलोग्राम एक रुपये और बिक्री से प्राप्त आय का पाँच प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर) तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा;

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/पार्ट]

यशवीर सिंह, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O. 5896(E).— In exercise of the powers conferred by section 20A of the Tobacco Board Act, 1975 (Act 4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to allow the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at their auction platforms in the State of Karnataka for the auctions during crop season 2025-2026, the excess Flue Cured Virginia Tobacco (hereinafter referred to as FCV Tobacco) produced by registered growers and unauthorised FCV Tobacco produced by unregistered growers in the State of Karnataka, subject to the following conditions, namely:-

- (a) a normal service charge of one per cent. of proceeds of sale payable by growers shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess FCV Tobacco produced upto the extent of ten per cent. of the quota authorised for 2025-26 crop season;
- (b) an amount of rupee one per kilogram and two per cent. of the proceeds of sale (excluding normal service charge of one per cent. of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess FCV Tobacco produced over and above the limit of ten per cent. and upto twenty per cent. of the quota authorised for 2025-26 crop season;
- (c) an amount of rupee one per kilogram and three per cent. of the proceeds of sale (excluding normal service charge of one per cent. of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess FCV Tobacco produced over and above the limit of twenty per cent. of the quota authorised for 2025-26 crop season;
- (d) an amount of rupee one per kilogram and five per cent. of the proceeds of sale (excluding normal service charge of one per cent. of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every unregistered grower for the FCV Tobacco produced for 2025-26 crop season.

[F.No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

YASHVIR SINGH, Economic Adviser